न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

मांगीलाल सिंह

बनाम

अन्जुदेवी इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 69

आदेश

दिनांक 09 जून 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2022 अनवान मांगीलालसिंह बनाम अन्जुदेवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 अगस्त 2022 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 25 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 243 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नंबर 244 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नंबर 245 रकबा 12.666 हैक्टेयर ग्राम कनोडिया पुरोहितान् तहसील सेखाला अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत विभाजन होना है। अपीलांट की ओर से वादग्रस्त आराजी के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में मानते हुए दिनांक 06 जुलाई 2022 को अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जो अपीलाधीन आदेश के जरिये अपास्त कर दी गई। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादग्रस्त आराजी को अजनबी क्रेतागण को बेचान/हस्तांतरण

करने तथा वादग्रस्त आराजी के कब्जे में परिवर्तन करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का तुलनात्मक संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। इस कारण अपीलार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 अगस्त 2022 को निरस्त किया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादग्रस्त आराजी का बेचान/हस्तांतरण नहीं करे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलांट 1/30 वे हिस्से का सहखातेदार काश्तकार है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पद संख्या 03 में यह स्वीकार किया गया है कि वह अपने नाम दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेंट्स मौके पर कब्जे में परिवर्तन कर रहे है, किंतु अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथन की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट की ओर से कोई पुष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर पूर्व पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाना प्रकट होता है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील

	अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में मामला अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	